

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 248/17

संस्थित दिनांक-16.06.17

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मौ

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. रविशंकर पुत्र महिपालसिंह यादव उम्र 33 साल
 2. शैलेन्द्रसिंह पुत्र महिपालसिंह यादव उम्र 22 साल
- निवासीगण ग्राम सलमपुरा थाना मौ
जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्तगण

—:: निर्णय ::—

{आज दिनांक 25.05.18 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 324 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दि० 24.05.17 को सांय करीब 7 बजे आरक्षी केन्द्र मौ अंतर्गत फरियादी धीरेन्द्र के ट्यूब बैल ग्राम सलमपुरा में सार्वजनिक स्थान पर अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी को उपहति कारित करने के सामान्य आशय के अग्रशरण में संयुक्ततः अथवा प्रथक फरियादी को धारदार वस्तु से हसिया से चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की।

2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 323, 294, 506 बी के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 324 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 24.05.17 को फरियादी धीरेन्द्र यादव अपने ट्यूबबैल पर शाम करीब 7 बजे था। उसी समय अभियुक्तगण आए और पुरानी रंजिश को लेकर मां बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त रवि शंकर ने हंसिया मारा जो दाहिने कान में लगा तथा शैलेन्द्र ने हंसिया मारा जो बाएं हाथ की कलाई में लगा, खून निकल आया। दोनों ने लातघूंसो से भी मारपीट की। बदनसिंह और नारायणसिंह ने बीच बचाव किया। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देकर चले गए। उक्त आशय की सूचना से अप०क्र० 135/17 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को

गिर0 कर गिर0 पत्रक, जब्ती कर जब्ती पत्रक बनाए गए, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्तगण को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न आने से दफ़्त की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या दि० 24.05.17 को सांय करीब 7 बजे फरियादी धीरेन्द्र के शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ, तो उनकी प्रकृति क्या थी ?

2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व फरियादी धीरेन्द्र के ट्यूब बेल ग्राम सलमपुरा में सार्वजनिक स्थान पर अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी को उपहति कारित करने के सामान्य आशय के अग्रशरण में संयुक्ततः अथवा प्रथक फरियादी को धारदार वस्तु से हंसिया से चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में धीरेन्द्र अ०सा० 01, बदनसिंह अ०सा० 2 को परीक्षित कराया गया है। तथ्यों व साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

7. फरियादी धीरेन्द्रसिंह अ०सा० 1 कथन करते हैं कि पिछले साल गर्मियों के 6-7 बजे की बात है, वे अपने खेत पर बैठे थे, आरोपीगण भी बैठे थे और उनका आपसी मुंहवाद हो गया। यह भी कथन करते हैं कि आरोपीगण ने उसकी लातघूंसी और लाठी से मारपीट कर दी थी जिससे उसे हाथ, पैर व कान में चोट आई थी। घटना की रिपोर्ट प्र०पी० 1 थाना मौ पर करना एवं उस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होने का कथन करता है। अपने अभिसाक्ष्य में किसी धारदार अथवा घातक वस्तु से उपहति कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं करता है। बदनसिंह अ०सा० 2 भी यह कथन करते हैं कि उन्हें उनके लडके ने बताया था कि आरोपीगण ने लातघूंसी से उसकी मारपीट कर दी है। इस प्रकार से दोनों ही साक्षी आहत को लातघूंसी से मारपीट करने का कथन कर रहे हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षियों को पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए जिसमें भी साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तगण ने हंसिया से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छा उपहति कारित की थी।

8. फरियादी धीरेन्द्र अ०सा० 1 ने रिपोर्ट प्र०पी० 1 में बी से बी भाग पर तथा पुलिस कथन प्र०पी० 3 में ए से ए भाग पर अभियुक्तगण द्वारा हंसिया से उसे उपहति कारित करने के संबंध में स्पष्ट रूप से इंकार किया है। बदनसिंह अ०सा० 2 ने भी अपने सूचक प्रश्नों में अभियोजन के सुझाव

से इंकार किया है तथा पुलिस कथन प्र०पी० 4 के विनिर्दिष्ट ए से ए भाग का कथन लिखाए जाने से इंकार किया है। प्र०पी० 1 की प्राथमिकी एवं प्र०पी० 3 व 4 के कथन स्वयं सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, बल्कि उनका उपयोग साक्षी के पूर्वतन कथन के रूप में विरोधाभास एवं लोप को दर्शाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से अभियुक्तगण के विरुद्ध किसी भी घातक अथवा धारदार वस्तु से फरियादी को उपहति कारित करने के संबंध में सारवान साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं।

9. अभियोजन का यह तर्क है कि राजीनामा हो जाने से साक्षीगण ने मामले का समर्थन नहीं किया है। सर्वप्रथम तो राजीनामा अवश्य अभिलेख पर उपलब्ध है, किन्तु साक्षियों ने राजीनामा के कारण असत्य कथन किए जाने के सुझाव से इंकार किया है। साथ ही अभियोजन दस्तावेजों में आहत के चिकित्सीय परीक्षण में किसी धारदार वस्तु से उपहति कारित किए जाने का उल्लेख कॉलम नं० 4 में नहीं हैं। संहिता की धारा 324 के आरोप को प्रमाणित किए जाने हेतु यह तथ्य प्रमाणित होना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा असन, भेदन, काटने वाली या नुकीली वस्तु से कोई उपहति स्वेच्छा कारित की हो। प्रकरण में फरियादी धीरेन्द्र अ०सा० 1 ने अधिरोपित आरोप के संबंध में इंकार किया है कि उसे आरोपीगण ने हंसिया से चोट कारित की थी। इस कारण से मारपीट के संबंध में मात्र धारा 323 का आरोप गठित होता है, जो कि राजीनामा हो जाने के कारण दण्डनीय नहीं रह जाता है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियुक्तगणों के विरुद्ध संहिता की धारा 324 का आरोप प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। उक्त आरोप के अधीन आरोपीगण को दोषमुक्त किया जाता है। शेष आरोपों के संबंध में राजीनामे के प्रभाव से उक्त आरोपों के अधीन अभियुक्तगणों की दोषमुक्ति की जा चुकी है।

11. अभियुक्तगण की जमानत मुचलके निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेगे।

12. अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि कुछ नहीं।

13. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति दो हंसिया मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट कर व्ययनित किए जावे, अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश